भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1724

दिनांकः 13 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों में छूट योजना

1724 श्री मनीश तिवारीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्यात उत्पाद पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह देखते हुए कि भारत ने एमईआईएस के विरुद्ध 2019 में डब्ल्यूटीओ पैनल के निष्कर्षों के विरुद्ध पहले ही अपील की थी, भारत विद्यमान भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) को प्रतिस्थापित करने का औचित्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यूरोपीय संघ और अमरीका ने आरओडीटीईपी योजना के प्रत्युत्तर में भारत के विरुद्ध प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लगाए हैं और यदि हां, तो उनके द्वारा ऐसा करने के क्या कारण बताए गए हैं;

(घ) क्या भारत ने उनकी दलीलों का उत्तर दिया है और यदि हां, तो संबंधित पक्षों के बीच इस विवाद को सौहार्दपूण ढंग से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) उन उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन पर सीवीडी लगाए गए हैं;

(च) क्या यूरोपीय संघ और अमरीका ने उन उत्पादों के संबंध में कोई औचित्य बताया है जिन पर सीवीडी लगाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय रुप से नहीं किया जाता है तो क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के समक्ष औपचारिक विवाद जारी करने का इच्छुक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्तमान में रिफंड न किए गए करों/शुल्कों/लेवी को रिफंड करने के लिए, जिन्हें केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत रिफंड नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रकिया में खर्च किए जाते हैं की वापसी के लिए निर्यात के लिए निर्यात उत्पाद पर शुल्क अथवा करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को दिनांक 01.01.2021 से लागू किया गया है। आरओडीटीईपी स्कीम के दिशानिर्देशों और दरों का विवरण https://www.dgft.gov.in पर उपलब्ध हैं। यह स्कीम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग द्वारा संपूर्ण आईटी वातावरण में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख): भारत से व्यापारिक वस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) जो 01.04.2015 से 31.12.2020 तक निर्यात के लिए चालू थी, एक ऐसी योजना थी जो ढाँचागत अक्षमताओं और संबंधित लागतों की भरपाई करने के लिए थी। आरओडीटीईपी स्कीम जो एक शुल्क छूट स्कीम है, एमईआईएस की प्रतिस्थापन स्कीम नहीं है और दोनों स्कीमों अलग–अलग सिद्धांतों पर चलती हैं और इन दोनों स्कीमों के बीच कोई संबंध नहीं है।

अमेरिका ने डीएस 541 में डब्ल्यूटीओ में एमईआईएस को चुनौती दी थी। भारत और अमेरिका द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समाधान की अधिसूचना के बाद उक्त पैनल रिपोर्ट के खिलाफ भारत द्वारा दायर अपील वापस ले ली गई है और विवाद समाप्त हो गया है।

(ग) से (च): जिन उत्पादों के लिए प्रतिकारी जाँच की गई है और सीवीडी का अंतिम निर्धारण किया गया है, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) द्वारा पेपर फाइल फोल्डर, कॉमन अलॉय एल्यूमीनियम शीट और फॉर्ज्ड स्टील फ्लुइड एंड ब्लॉक्स और यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा कुछ ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड सिस्टम शामिल हैं। भारत सरकार और प्रभावित निर्यातकों ने जाँच के दौरान अपनी लिखित और मौखिक प्रतिक्रियाओं द्वारा केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के तहत सब्सिडी आरोप का दृढ़ता से बचाव किया है।

सीवीडी लगाते समय यह कहा गया है कि निविष्टि, खपत राशि और लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की पुष्टि करने के लिए एक उचित और प्रभावी प्रणाली की आवश्यकता है।

(छ): यदि कोई डब्ल्यूटीओ सदस्य डब्ल्यूटीओ के तहत समझौतों के साथ असंगत कोई उपाय अपनाता है, तो कोई भी पक्ष डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान तंत्र से संपर्क कर सकता है।

*****